(राज्य स्कीम)

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–6/डी0 एस0सी0ए0–01/2014 85

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (मुख्यालय)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 07.11.17

विषयः– जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संविधान की धारा–275(1) के तहत एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत स्वीकृत दो आवासीय विद्यालय यथा, बेलाटाडी, रामनगर, प0 चम्पारण एवं आस्ता, झाझा, जमुई में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि में से बजट उपबन्ध के अंतर्गत उपलब्ध ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश सं0–82 दिनांक–03.11.2017 द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संविधान की धारा–275(1) के तहत एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत स्वीकृत दो आवासीय विद्यालय यथा, बेलाटाडी, रामनगर, प0 चम्पारण एवं आस्ता, झाझा, जमुई में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम से प्रति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों को 720 आसन वालें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 मे जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि में से बजट उपबंध के अन्तर्गत उपलब्ध ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू0) मात्र की राशि की व्यय की स्वीकृति। साथ ही आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों की निर्माण की परियोजना लागत पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मद से आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदालोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट में प्रावधानित कुल राशि ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू0) मात्र आवंटित की जाती है।

2– इस योजना के लिए राज्य स्कीम मद के निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगाः–

राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मांग सं0–44 मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास– उपशीर्ष–0201– अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास–संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त–विषय शीर्ष–0201.27.01–लघु कार्य–विपत्र कोड–44–2225021020201 पी0एफ0एम0एस0 कोड–TSP2 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बेलाटांडी, रामनगर, प0 चम्पारण के मौजा–बेलाटांडी, थाना नं0–521, खाता नं0–23, खेसरा नं0–96, रकबा–5.00 एकड़ एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आस्ता (झाझा), जमुई के मौजा आस्ता थाना नं0–3/61 खाता नं0–120/1 खेसरा–538 रकबा–5.00 एकड़ में कराया जायेगा।

4– वर्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि में से बजट उपबन्ध के अंतर्गत उपलब्ध राशि ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़) मात्र की निकासी पदाधिकारी, उपनिदेशक (मु0) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता–238 के नाम से उपलब्ध करायेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1993 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें। व्ययन पदाधिकरी राशि का नियमानुसार व्यय करेगें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगें।

7-आवासीय विद्यालयों को चरणबद्ध रूप में 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय के अनुरूप आधारभूत संरचना, 05 वर्षो के लिए रख-रखाव एवं फर्निशिंग कार्य के लिए मुख्य महाप्रबन्धक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक-2043 (अनु0) दिनांक-29.06.2017 द्वारा पुनपरीक्षण के उपरान्त प्राप्त मॉडल नक्शा एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के माध्यम से के माध्यम से कराया जायेगा।

8- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

9- इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

10 - इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

11 - कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 7.11.17

निदेशक।

ज्ञापांक-4/निदे0 आवा0 वि0(उत्क्रमण)-01-10-16/2016-85 पटना,दिनाक- 07.11.17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल संचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

7.11.17

निदेशक।